अनुवान मुकदमा नोरतराम वगैरा बनाम पं० आलपु नानक   सं. वर्ष 4/2020

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
11.11.21	पत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प आलपु नानक में रखी गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण सं० 1 से 3 स्वयं उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने जवाब / प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जो शा० कि० रखे। अपीलान्ट ने यह नामा० अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम आलपु कलां में जमीन ख० नं० 212 रकबा 2.1400 हे०, 214 रकबा 2.8500 हे०, 57 रकबा 4.4800 हे०, 677 रकबा 2.2500 हे०, 679 रकबा 1.3000 हे० आयी हुई है जो अपनी सह-खातेदारीशुदा पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है। अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम नोरतराम पुत्र भींयाराम है जो उसके आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। अपीलान्ट के पिता भींयाराम पुत्र आदुराम का देहान्त हुआ तब उक्त वादग्रस्त जमीन के पुराने खसरा नम्बर 168, 170, 46, 536, 538 नये ख०नं० 212, 214, 57, 677, 679 का उनके उत्तराधिकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं० 3 के नाम नामान्तकरण सं० 355 दिनांक 21.6.1990 को भरा गया तब नामा० में अपीलान्ट का नाम नोरतराम के स्थान पर सहवन से दौलतराम गलत दर्ज कर दिया। नोरतराम पुत्र भींयाराम व दौलतराम पुत्र भींयाराम नाम का अपीलान्ट एक ही व्यक्ति है; दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं है। मुतनाजा जमीन की खातेदारी में अपीलान्ट का सही नाम दर्ज होने से किसी को [signature] उपखण्ड अधिकारी डगाना नागौर	RTI. बानूदी नोरतराम

सं. वर्ष ....

अनुवान मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है। खातेदारी में अपीलान्ट का सही नाम दर्ज नहीं होने से अपीलान्ट को भारी असुविधा हो रही है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जालसू नानक द्वारा भरा गया नामान्तकरण सं० 355 दि० 21.6.90 को अपीलान्ट के हक तक निरस्त फरमाया जाकर पुनः सही व विधिवत नामा० भरवाया जाकर नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम नोरतराम पुत्र भोगाराम दर्ज किया जाकर इसी नाम से खातेदारी दर्ज फरमाई जावे। अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं० 3 के इकबाली जवाब पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है रेस्पो० सं० 1 ने जवाब/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। रेस्पोडेन्ट सं० 2 ने जवाब पेश कर कथन किया है कि उक्त नामान्तकरण राजस्व अधिनियम के तहत भरा गया है जो सही है। अपील आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रकरण को शिविर जालसू कलां में रखा गया। मजमे आम से जानकारी चाही गई। मजमे आम में उपस्थित मोतबरान ने यह अवगत कराया कि नोरतराम पुत्र भोगाराम व दौलतराम पुत्र भोगाराम जाति जाट नि० जालसू कलां नामु का एक ही व्यक्ति है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में (2067-76) ख० नं० 212, 214, 57, 677, 679 में (हस्ताक्षर) ...अधिकारी ... नागौर	

अनुवान मुकदमा — नोरतराम V/S ग्रा० पं० जालसू नानक स. वर्ष 04/2020

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	दौलतराम पुत्र भोगाराम सह खातेदार में दर्ज है। नामा० सं० 355 (दि. 21.06.90) में खातेदार भोगाराम के फौत होने पर पुत्र दौलतराम व पत्नि बागुड़ी के नाम खातेदार दर्ज की गई है। प्रस्तुत जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड में नोरतराम पुत्र भोगाराम दर्ज है। रेस्पो० सं० 3 के स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया कि उसके एक मात्र जायन्दा पुत्र है जो अपीलान्ट है। दौलतराम पुत्र भोगाराम व नोरतराम पुत्र भोगाराम दोनो एक ही व्यक्ति है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपस्थित पक्षों को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट की पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है रेस्पोडेन्ट सं० 1 व 3 ने अपील स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की है प्रस्तुत लोक दस्तावेजों में नोरतराम पुत्र भोगाराम दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सह खातेदार माता की सहमति, रेस्पो० सं० 1 की सहमति के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जालसूनानक द्वारा स्वीकृत ग्राम जालसू ~~[illegible]~~ कलाँ के नामान्तकरण सं० 355 स्वीकृति दि० 21.6.90 अपीलान्ट की हद तक खारिज किया जाकर तहसीलदार डेगाना को [signature] उपखण्ड अधिकारी डेगाना नागौर लगातार---	

Scanned by CamScanner

अनुवान मुकदमा नोरतराम V/S ग्रा० पं० जालसू नानक सं. वर्ष 04/2020

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
	रिकार्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जालसू कलाँ के ख०नं० 212, 214, 57, 677, 679 में ढोलाराम पुत्र भीयाराम के स्थान पर नोरतराम पुत्र भीयाराम के नाम खातेदारी दर्ज करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनाँक 11.11.2021 को कैम्प जालसू नानक में मजमेआम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी डगाना नागौर	

Scanned by CamScanner